उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2–220/दस–34(एम)/2008 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2010

संकल्प

विषय:– छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिये संकल्प संख्या– वे0आ0–2–870/दस–34(एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2– 824/दस–34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा गठित वेतन समिति से अपनी संस्तुतियां तीन माह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। उपर्युक्त निर्धारित समयावधि में संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1302/दस– 34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 04 दिसम्बर, 2008 द्वारा तीन माह तथा संकल्प संख्या–वे0 आ0–2– 297/दस–34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2009 एवं संकल्प संख्या– वे0आ0–2–1225/दस–34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2009 द्वारा छः–छः माह की वृद्धि की गयी।

2– वेतन समिति को अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त समयावधि में एतद्‌वारा छः माह की वृद्धि करते हुए समिति का कार्यकाल 31 अगस्त, 2010 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

1– यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।

2– आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।

3– आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों को भेजी जायें।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।